बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

पत्रांक 15/जी –1–02/2001 उ0शि0 —10

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित । सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

द्वारा – वित्त विभाग

पटना, दिनांक– 11.9.2009

विषयः– विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैर– योजनान्तर्गत मद से वेतनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में 15,00,000/– (पन्द्रह लाख रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–10 में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के कर्मियों को वेतनादि भुगतान हेतु गैर–योजना मद में 15,00,000/– (पन्द्रह लाख रू0) मात्र इस शर्त्त के साथ स्वीकृत करने की कृपा की है कि प्रशासी विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ही विघटित आयोग के कर्मियों की सेवा के संबंध में निर्णय ले लिया जायेगा। ।

2. व्यय का विकलन बजट शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा– 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–800–अन्य व्यय, मांग संख्या–21 उपशीर्ष 0001– बिहार कॉलेज सेवा आयोग विपत्र कोड–एन–2202038000001–विषय शीर्ष–3101 सहायक अनुदान आवर्त्तक के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड़, पटना से लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा कर विघटित आयोग के कर्मियों का भुगतान करेगें।

4. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् निकासी की जायेगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि का व्यय सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर होगा तथा राशि का उपयोग उन्हीं मदों पर किया जाएगा। जिसके लिए राशि स्वीकृत की जा रही है और यदि राशि बच जाती है तो उसें राज्य कोष में जमा कर दिया जाएगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को यह अधिकार होगा कि विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग की लेखा का अंकेक्षण करें। जिस खास उद्देश्य से यह राशि स्वीकृत की गई है

D:\Bihar College Seva AAyog.doc

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

उसका व्यय उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाएगी ताकि उसका लेखा–जोखा आयोग द्वारा अलग से रखा जाएगा।

व्यय विवरणी के अनुसार राशि खर्च किया जाए। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

7. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित कर दिया गया है।

8. यू0ओ0आर0 संख्या 611/एफ 8 दिनांक 07.09.2009 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–15/ जी –1–02 / 2001 उ0शि0 – 10 पटना, दिनांक– 11.9.09

प्रतिलिपि:– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विघटित आयोग), मानव संसाधन विकास विभाग/वित्त विभाग प्रशाखा–9 बजट शाखा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वेबसाईट कोषांग, मानव संसाधन विकास विभाग/लेखा पदाधिकरी/निदेशक, उच्च शिक्षा/सभी उप निदेशक/लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी– 5,14 एवं 15 कार्यवाह सहायक, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11.9.09

(ओंकार नाथ आर्य)
सरकार के उप सचिव
11-9-09

D:\Bihar College Seva AAyog.doc